उत्तर प्रदेश शासन

वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-2

संख्या-39/2016/वे0आ0-2-980/दस-01(एम)/2016

लखनऊः दिनांकः 11 अगस्त, 2016

कार्यालय-ज्ञाप

प्रदेश के विभिन्न वर्ग के कर्मचारियों के लिये वेतन समिति का गठन विषयक संकल्प संख्या-38/2016/वे0आ0-2-876/दस-01(एम)/2016 दिनांक 11 अगस्त, 2016 के क्रम में अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्यपाल महोदय अध्यक्ष वेतन समिति का एक अस्थायी पद दिनांक 28 फरवरी, 2017 तक यदि इसके पूर्व बिना किसी सूचना के समाप्त न कर दिया जाय, सृजित किये जाने तथा उक्त पद पर श्री जी0 पटनायक, सेवानिवृत्त आई0ए0एस0 को समिति का कार्य प्रारम्भ किये जाने की तिथि से नियुक्त किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2. श्री जी0 पटनायक की अध्यक्ष वेतन समिति के पद पर कार्य करने की अवधि में अध्यक्ष के पद की प्रास्थिति (स्टेटस) राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष पद के समकक्ष होगी।

3. श्री जी0 पटनायक को अध्यक्ष वेतन समिति के रूप में कार्यरत रहने की अवधि में निम्नलिखित सुविधायें अनुमन्य होंगीः--

(1) श्री जी0 पटनायक को वेतन समिति के अध्यक्ष के रूप में समिति की बैठकों के लिये रू0 8000 (रू0 आठ हजार मात्र) प्रतिदिन की दर से मानदेय अनुमन्य होगा।

(2) श्री जी0 पटनायक को वेतन समिति के कार्यों हेतु राज्य सम्पत्ति विभाग द्वारा सरकारी वाहन (वाहन चालक एवं पेट्रोल सहित) उपलब्ध कराया जायेगा। वेतन समिति के कार्यों हेतु सरकारी वाहन के स्थान पर निजी वाहन का प्रयोग करने का अध्यक्ष द्वारा विकल्प दिये जाने पर उसकी प्रतिपूर्ति हेतु रू0 20000 (रू0 बीस हजार मात्र) प्रतिमाह का भुगतान किया जायेगा।

(3) श्री जी0 पटनायक द्वारा वेतन समिति के कार्यों हेतु की गयी यात्राओं (जिसके अन्तर्गत वेतन समिति में कार्यभार ग्रहण करने के लिये की गयी यात्रा या वेतन समिति में उनकी कार्यावधि की समाप्ति पर अपने गृह नगर को की गयी यात्रा

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

भी सम्मिलित हैं) के लिये उन्हीं मापक्रमों और उन्हीं दरों पर यात्रा भत्ता अनुमन्य होगा, जैसा अध्यक्ष राजस्व परिषद को अनुमन्य है।

(4) श्री जी0 पटनायक अध्यक्ष, वेतन समिति के पद पर कार्यरत रहने की अवधि में उ0प्र0 मेडिकल अटेन्डेन्ट रूल्स 1946 (यथा संशोधित)/समय-समय पर निर्गत शासनादेशों के अनुसार चिकित्सा उपचार/अस्पताल की सुविधायें अनुमन्य होंगी।

(5) श्री जी0 पटनायक को वेतन समिति के कार्यों हेतु की गयी दिल्ली यात्रा के दौरान निःशुल्क वाहन एवं ठहरने की सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी।

(6) श्री जी0 पटनायक को लैपटाप तथा समिति के कार्यालय एवं आवास पर टेलीफोन, (एस0टी0डी0 सुविधा सहित) तथा मोबाइल फोन (रोमिंग सुविधा सहित) भी उपलब्ध कराया जायेगा।

(7) श्री जी0 पटनायक को एक निजी सचिव, एक अपर निजी सचिव तथा तीन चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी उपलब्ध कराये जायेंगे।

(8) श्री जी0 पटनायक अध्यक्ष वेतन समिति को सचिवालय स्तर पर एक कार्यालय उपलब्ध कराया जायेगा।

4. इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2016-17 के आय-व्ययक की अनुदान संख्या-65-लेखाशीर्षक-''2070-अन्य प्रशासनिक सेवायें-आयोजनेत्तर-105-विशेष जॉच आयोग-03-राज्य आयोग और समितियॉ-0301-वेतन समिति का गठन'' के अधीन संगत मानक मदों के नामे डाला जायेगा।

राहुल भटनागर
प्रमुख सचिव।

संख्या-39/2016/वे0आ0-2-980 (1)/दस-01 (एम)/2016तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय , उ0प्र0 इलाहाबाद।
2. अध्यक्ष वेतन समिति।
3. सदस्य सचिव वेतन समिति, उ0प्र0।
4. प्रमुख सचिव, सचिवालय प्रशासन विभाग, उ0प्र0 सचिवालय।
5. प्रमुख सचिव, राज्य सम्पत्ति विभाग, उ0प्र0 सचिवालय।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

6. वित्त (सामान्य) अनुभाग-1/2/3।
7. नियुक्ति अनुभाग-1
8. इरला चेक अनुभाग।
9. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
10. वित्त (सेवायें) अनुभाग-1/4
11. लेखाकार-कम-कोषाध्यक्ष, वेतन समिति।

आज्ञा से,
रमेश कुमार त्रिपाठी
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।